एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 5038/2006
कालूराम गुर्जर
बनाम
चीफ इंजीनियर,जयपुर विघुत वितरण निगम लिमिटेड व अन्य

1.5.2007

<u>माननीय न्यायाधिपति श्री मोहम्मद रफीक</u>

श्री बी.आर.राना, अधिवक्ता याची की ओर से।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। इस रिट याचिका में याचिकाकर्ता ने अयाची संख्या 1 लगायत 3 के विरुद्व यह समादेश चाहा है कि वे अयाची संख्या 4 से 7 को विघुत सप्लाई नहीं करे तथा विवादित भूमि, जो याचिकाकर्ता अपनी खातेदारी की बताता है, में उन्हें कोई विघुत सम्बन्ध प्रदान नहीं करे।

यह विवाद मूलत: याचिकाकर्ता एवं अयाची संख्या 4 से 7 के मध्य भूमि खसरा नम्बर 72 के सम्बन्ध में है जिसमें कि याचिकाकर्ता अपना 1/3 हिस्सा बताता है। मैं ऐसे विवाद को रिट याचिका के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत पोषणीय नहीं मानता हूं। अत: यह रिट याचिका इसी आधार पर निरस्त की जाती है। याचिकाकर्ता वैकल्पिक उपचार विधि अनुसार लेने के लिये स्वतंत्र होगा।

(मोहम्मद रफीक)
न्यायाधिपति